



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022022-233712
CG-DL-E-24022022-233712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943

No. 797]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

कां०आ० 826(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां० आ० 2714(अ), तारीख 11 अगस्त 2020, भारत के राजपत्र सं० 2408—तारीख 11 अगस्त 2020, व शुद्धिपत्र भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 4191(अ), तारीख 7 अक्टूबर 2021, भारत के राजपत्र सं० 3848—तारीख 08 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील कालापीपल जिला शाजापुर राज्य मध्यप्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी.लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 28 अक्टूबर, 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी.लिमिटेड में निहित होगी, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी.लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
जिला: शाजापुर			राज्य: मध्यप्रदेश		
तहसील	ग्राम का नाम	सर्वे/प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कालापीपल	खमलाय	1237	00	00	83
		1041	00	22	04
		1042	00	00	24
		1043	00	03	93
		1045	00	03	03
		1046	00	08	36
		1049	00	06	31
		1051	00	15	84
		1065	00	06	49
		1064	00	07	39
		1060	00	12	30
		1059	00	01	42
		1058	00	02	05
		1076	00	02	43
		1081	00	00	44
		1082	00	02	16

		1083	00	00	96
		1085	00	27	90
		1093	00	05	67
		1092	00	02	16
		1097	00	11	84
		1102	00	23	87
		1104	00	00	46
		1101	00	01	97
		913	00	06	96
		912	00	07	86
		770	00	00	31
		911	00	27	97
		909	00	01	01
		910	00	06	21
		795	00	00	63
		797	00	03	43
		798	00	03	28
		804	00	04	82
		803	00	00	20
		805	00	02	13
		779	00	00	30
		807	00	05	40
		274/2	00	00	47
		294/1	00	08	12
		275	00	02	30
		276	00	06	02
		277	00	01	35
		270/3	00	08	49

		270/2	00	03	32
		278/3	00	02	50
		278/1	00	06	58
		287/3/1	00	20	20
		280	00	05	86
		283	00	14	72
		236/2/1	00	01	83
		237/2	00	05	55
		236/2/2	00	09	77
		234/3	00	03	49
		234/2	00	05	94
		231	00	08	57
		402/2	00	03	69
		403	00	09	01
		401/1	00	08	82
		406/1	00	01	12
		406/2	00	07	53
		407/3	00	01	31
		426	00	16	44
		461/2	00	04	82
		461/1	00	09	14
		467	00	06	51
		471	00	09	85
		472	00	17	35
		488	00	01	53
		489	00	29	94
		492	00	00	64
		491	00	08	73

कालापिपल	सुकलिया	524/7	00	08	19
		524/6	00	01	20
		524/8	00	05	76
		525/2	00	06	99
		525/3	00	04	37
		525/1	00	07	82
		517/6	00	02	43
		517/2	00	01	68
		517/3	00	08	69
		516	00	03	52
		531/2	00	02	67

[फा. सं.आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

S.O. 826(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 2714(E) Dated 11 August 2020 published in the Gazette of the India Gazette No. 2408 Dated 11 August 2020 and the Corrigendum of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 4191(E) Dated 07 October 2021 published in the Gazette of the India Gazette No 3848 Dated 08 October 2021 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas Pipeline in Tehsil Kalapipal District Shajapur In the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 26 October 2021 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
District : Shajapur			State: Madhya Pradesh		
Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalapipal	Khamlay	1237	00	00	83
		1041	00	22	04
		1042	00	00	24
		1043	00	03	93
		1045	00	03	03
		1046	00	08	36
		1049	00	06	31
		1051	00	15	84
		1065	00	06	49
		1064	00	07	39
		1060	00	12	30
		1059	00	01	42
		1058	00	02	05
		1076	00	02	43
		1081	00	00	44
		1082	00	02	16
		1083	00	00	96
		1085	00	27	90
		1093	00	05	67
		1092	00	02	16
		1097	00	11	84
		1102	00	23	87
		1104	00	00	46
		1101	00	01	97
		913	00	06	96
		912	00	07	86
		770	00	00	31
		911	00	27	97

		909	00	01	01
		910	00	06	21
		795	00	00	63
		797	00	03	43
		798	00	03	28
		804	00	04	82
		803	00	00	20
		805	00	02	13
		779	00	00	30
		807	00	05	40
		274/2	00	00	47
		294/1	00	08	12
		275	00	02	30
		276	00	06	02
		277	00	01	35
		270/3	00	08	49
		270/2	00	03	32
		278/3	00	02	50
		278/1	00	06	58
		287/3/1	00	20	20
		280	00	05	86
		283	00	14	72
		236/2/1	00	01	83
		237/2	00	05	55
		236/2/2	00	09	77
		234/3	00	03	49
		234/2	00	05	94
		231	00	08	57
		402/2	00	03	69
		403	00	09	01
		401/1	00	08	82
		406/1	00	01	12
		406/2	00	07	53
		407/3	00	01	31
		426	00	16	44
		461/2	00	04	82

		461/1	00	09	14
		467	00	06	51
		471	00	09	85
		472	00	17	35
		488	00	01	53
		489	00	29	94
		492	00	00	64
		491	00	08	73
Kalapipal	Sukliya	524/7	00	08	19
		524/6	00	01	20
		524/8	00	05	76
		525/2	00	06	99
		525/3	00	04	37
		525/1	00	07	82
		517/6	00	02	43
		517/2	00	01	68
		517/3	00	08	69
		516	00	03	52
		531/2	00	02	67

[F. No. R-11025(15) /5/2020-OR-I / E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.